संख्या–591/सत्तर–1–2020

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग
प्रयागराज।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3– कुलसचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश

4– कुलसचिव
समस्त निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक– 27 मार्च, 2020

विषय– उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में कोविड 19 के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये ''वर्क फ्राम होम'' के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में श्री अमित खरे, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक– 21.03.2020 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया संदर्भित पत्र में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिये **''वर्क फ्राम होम''** के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

1. शिक्षण संस्थानों में संचालित परीक्षायें एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक– 14.04.2020 तक स्थगित रखी जाय।
2. शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक– 14.04.2020 तक ''वर्क फ्राम होम'' की अनुमति दी जाय।
3. शिक्षण संस्थाओं के फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा यथा–
   (क) आनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करना, आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन मूल्यांकन करना।
   (ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के लिये तैयार करना।
   (ग) शोध कार्य जारी रखना।
   (घ) आर्टिकल, पत्र इत्यादि लिखना।
   (ड.) प्रश्न कोष के लिये नवाचारी प्रश्नो को तैयार करना।
   (च) ''एक भारत श्रेष्ठ भारत'' के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।
4. फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एवं संविदा शिक्षको, जिनकी संविदा दिनांक– 14.04.2020 तक वैध है, की उपरोक्त अवधि सेवावधि के रूप में गणना की जायेगी।
5. जो छात्र, विशेष रूप से विदेशी छात्र छात्रावासों में अभी भी निवास कर रहे है, वे अपने छात्रावासों में रहेंगे और आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

6. फैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र यथा मोबाईल नम्बर/ई–मेल आदि अपनी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

भवदीय,

ह0/
प्रमुख सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर – 222003

Website- www.vbspu.ac.in
Email : connectpuregistrar@gmail.com
फोन नं0.- 05452-252244

पृष्ठाकन संख्या– 2489/पू0वि0वि0/प्रशासन/2020 दिनांक– 28.03.2020

उपरोक्त शासन के पत्र संख्या– संख्या–591/सत्तर–1–2020 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक– 27 मार्च, 2020 के आलोक में एवं मा0 कुलपतिजी के निर्देश के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि शासन के उपरोक्त समस्त बिन्दुओं से सम्बन्धितो द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कृत कार्यवाही की आख्या विश्वविद्यालय के ई–मेल पर भी प्रेषित की जाय।

प्रतिलिपि– शासन के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन हेतु निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक– 27.03.2020 के अनुपालन में संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी परिक्षेत्र।
4. वित्त अधिकारी।
5. छात्र कल्याण अधिष्ठाता।
6. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय के साथ प्रेषित कि शासन के निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
7. सहा0 कुलसचिव।
8. चीफ प्राक्टर।
9. चीफ वार्डेन, (महिला/पुरूष) वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।
10. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकगण परिसर पाठ्यक्रम।
11. प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
12. वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. विशेष कार्याधिकारी, कुलपतिजी, मा0 कुलपतिजी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
14. समस्त अधीक्षक/प्रभारी विश्वविद्यालय परिसर को अनुपालनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव